

प्रश्न प्रत्र – 1 हल

विषय – हिंदी (आधार)

कक्षा – बारहवीं

Q.1

मादक पदार्थों के प्रति युवाओं की बढ़ती प्रवृत्ति

आज का लगभग प्रत्येक युवा किसी न किसी प्रकार के नशे की गिरफ्त में जकड़ा हुआ है। अगर हम दिन प्रतिदिन आने वाले समाचारों और तथ्यों तथा आँकड़ों पर गौर करें तो यह आश्चर्यजनक और स्तब्ध करने वाली सच्चाई है कि आज का युवावर्ग कुछ एक प्रतिशत को छोड़कर दृढ़ पूरी तरह नशे के आक्रोश में फँसा हुआ है। नशे की यह प्रवृत्ति युवा वर्ग में बढ़ती ही जा रही है। वे तरह-तरह के नशों में लिप्त हैं शराब, भाँग और अफीम तो नशे के लिए पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं परन्तु अब इनमें हेरोइन, ब्राउनसुगर, स्मैक, एल.एस.डी, मार्फीन आदि और जुड़ गए हैं। युवा वर्ग में प्रचलित सबसे खतरनाक नशा है स्मैक। जो युवक इसकी एक-दो बार प्रयोग कर लेता है वह जीवन-भर के लिए इसका आदी हो जाता है। शराब का सेवन तो एक साधारण बात है। शराब स्टेट्स सिबल बन चुकी है और शराब पीना बडप्पन तथा प्रगतिशील होने की निशानी माना जाता है।

नशे का युवावर्ग में प्रचलन क्यों बढ़ता जा रहा है ? इस पर विचार करें तो उसके अनेक कारण सामने आते हैं भारत में पहले से ही भाँग, शराब, चरस, गाँजा आदि को देवी-देवताओं के साथ जोड़कर इनके सेवन को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है इस प्रकार नशे को निरापद तथा सामाजिक स्वीकृति वाला क्षेत्र माना गया है युवाओं के नशे में लिप्त होने के पीछे यह कारण इतना उत्तरदायी नहीं है जितना कि वर्तमान सामाजिक वातावरण। आज युवाओं के सामने जीवन की प्रतिस्पर्द्धा में टिके रहने की जो चुनौती है वह उनमें मानसिक तनाव बढ़ाती है। इस तनाव से मुक्ति का सकारात्मक उपाय-आर्थिक सबलता, उपयोगी शिक्षा, प्रयासों की सफलता, न्यायपूर्ण समतावादी समाज-रचना आदि न मिलने पर युवा वर्ग नकारात्मक उपाय-नशे की ओर आकर्षित होता है मादक द्रव्यों से धनोपार्जन करने वाले नशा माफिया भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। वे युवक युवतियों को नशे के लिए फुसलाते या ललचाते हैं पहले, उनको एक - दो खुराक मुफ्त में देकर नशे का आदी बनाते हैं फिर उनका शोषण करते हैं। मादक पदार्थों का अवैध व्यापार धडल्ले से चलता है। सरकार के इसको रोकने के प्रयास आधे-अधूरे तथा अपर्याप्त हैं। 'तम्बाकू जानलेवा है' की सूचना छाप देने से तम्बाकू की बिक्री बंद नहीं की जा सकती। यदि युवक इतने ही समझदार होते तो नशे के जाल में फँसते ही क्यों ? सरकार थोड़े-से- लाभ का लालच छोड़कर शराब और नशे के अन्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को पूरी तरह रोक क्यों नहीं देती ?

युवावर्ग में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति उनके लिए ही नहीं देश और समाज के लिए भी हानिकारक है इसके कारण समाज में अनेक अपराध पनपते हैं नशे के लिए धन आवश्यक होता है और वह सीधे सरल उपायों से तो प्राप्त होता नहीं, फलतः युवावर्ग अपराध जगत् में प्रवेश करता है। मादक द्रव्यों के प्रयोग के कारण ही अपराध पनप रहे हैं।

मादक -द्रव्यों के प्रयोग की समस्या आज विश्वव्यापी हो गई है। अनेक देशों में इनकी बिक्री तथा सेवन प्रतिबन्धित तथा दण्डनीय है। परन्तु केवल कानून बनाकर इसको रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता है जन-जागरण की। युवकों को इनके सेवन के खतरे से अवगत कराकर तथा सहानुभूतिपूर्वक समझा-बुझाकर ही इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि युवा-शक्ति के समाने कोई क्रियात्मक लक्ष्य रखा जाय और उनकी ऊर्जा को इस ओर मोड़ा जाय तो इस समस्या का समाधान अवश्य हो सकता है।

बाल शोषण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बाल मजदूरी से सम्बन्धित बच्चों को छुड़ाने में पुलिस का अपेक्षित सहयोग न मिलने को गम्भीरता में लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर तथा अन्य कई अधिकारियों को नोटिस भेजा है तथा अदालत में उपस्थित होकर यह बताने का आदेश दिया है कि ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में उनकी योजना क्या है ? न्यायालय इससे पूर्व भी टास्क फोर्स गठित करने को कह चुका है।

बालश्रम समस्त विश्व में एक गम्भीर समस्या बन चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा सन् 1979 में बालश्रम के विरोध में प्रस्ताव पास कर चुकी है। इसी प्रस्ताव को आधार बनाकर भारत सरकार बालश्रम निषेध एवं विनियमन कानून 1986 बना चुकी है। इस कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कुछ विशेष उद्योगों जिनमें काम करना खतरनाक हो सकता है में काम नहीं कर सकते किन्तु कृषि के सम्बन्ध में यह कानून कुछ नहीं कहता। वास्तव में 70 प्रतिशत बाल श्रमिक कृषि से ही जुड़े हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 1991 में बालश्रम उन्मूलन पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा था। भारत सन् 1992 में इससे जुड़ने वाला पहला देश है।

बालश्रम मानवता के लिए अभिशाप हैं छोटे-छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए वे कारखानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूरी करते दिखाई देते हैं। इसका कारण गरीबी तो है ही किन्तु जितने हाथ उतने काम की मानसिकता भी है। छोटे बच्चों से अधिक काम लिया जा सकता है तथा उनकी मजदूरी भी कम देनी होती है। इसी कारण घरेलू नौकरी, खेती, दुकानों, कारखानों, होटलों, फैक्टरियों आदि में छोटे बच्चे काम करते देखे जा सकते हैं। यद्यपि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में बालश्रम प्रतिबन्धित एवं गैर-कानूनी है, परन्तु देश में बालश्रम निरन्तर जारी है। आज से दस वर्ष पूर्व 2001 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में 1,26,66,377 बच्चों बाल श्रमिक थे। सुप्रीम कोर्ट ने श्रम विभाग को निर्देश दिया था कि अगर नियोजक निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाय और इसे बाल श्रमिकों के हित में व्यय किया जाय। इसके अनुसार पूरे देश में 58,962 नियोजकों के विरुद्ध मामले दर्ज हो चुके हैं।

बालश्रम से मुक्ति के लिए बच्चों के परिवार का आर्थिक स्तर उठाना बहुत जरूरी है किन्तु इसके साथ ही उनकी बालश्रम के विरुद्ध जागरूक भी करना होगा। इसके लिए प्रशिक्षण तथा दण्ड का भय दोनों ही आवश्यक हैं।

लिंग अनुपात में बढ़ता अन्तर/कन्या भ्रूण हत्या

भारत में पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या निरन्तर गिरती जा रही है। भारत के पश्चिमी प्रदेशों में यह समस्या अधिक विकट है। वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 941 महिलायें थीं। 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें गिरावट तो आई है परन्तु वह इतनी चिन्तनीय नहीं है। जितनी 'छ' वर्ष तक के आयु वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं के अनुपात में आई गिरावट। सन् 1961 की जनगणना के अनुसार छः वर्ष तक के आयुवर्ग में प्रति 1000 बालकों पर 978 बालिकायें थीं। 2001 से यह संख्या घटकर प्रति 1000 बालकों पर 927 बालिकायें हो गईं। 2011 की जनगणना में यह संतुलन और घटा है। तथा प्रति 1000 बालकों पर 914 बालिकायें ही रह गई हैं।

छः वर्ष तक के आयुवर्ग में बालकों की तुलना में बालिकाओं की घटती संख्या चिन्ताजनक है। इससे देश में स्त्री-पुरुषों का संतुलन गड़बड़ सकता है। इस आयुवर्ग में बालिकाओं की संख्या कम होना बालिकाओं के प्रति सामाजिक उपेक्षा का परिणाम है। लड़कियों के विवाह में दहेज आदि समस्याओं के कारण माता-पिता उनकी ओर कम ध्यान देते हैं। बालकों की तुलना में बालिकाओं को अच्छा भरण-पोषण प्राप्त नहीं होता तथा बीमार होने पर उनको इलाज की अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती। लेकिन इस असंतुलन का प्रमुख कारण कन्या भ्रूण की हत्या करना है। अल्ट्रासाउण्ड आदि तकनीकों के द्वारा लोग जन्म से पहले ही गर्भस्थ शिशु का लिंग पता कर लेते हैं और यदि वह लड़की हुई तो उसका गर्भपात करा दिया जाता है। इस तरह लड़कियों को माँ के गर्भ में ही मार डाला जाता है। छः वर्ष तक आयुवर्ग में लड़कियों की संख्या का निरन्तर घटने का यही कारण है। यह संख्या दिल्ली के निकटस्थ पंजाब तथा हरियाणा में कुछ अधिक घटी है। इससे स्पष्ट है कि यह घणित आचरण राजधानी के निकटस्थ प्रदेशों में अधिक चल रहा है।

गर्भस्थ भ्रूण का लिंग पता करना कानूनन अपराध है। परन्तु अनेक चिकित्सक इस कार्य में लगे हुए हैं। गैर-कानूनी होने से इस कार्य को करने में उनको अधिक आमदनी होती है। कानूनकी कमजोरी के कारण भी यह अपराध रूक नहीं पा रहा है। लड़कियों की तुलना में समाज में लड़कों को अधिक महत्व प्राप्त है। माँ जो स्वयं एक स्त्री है, बेटे को ही जन्म देने की इच्छा रखती है। परिवार में भी बेटे को जन्म देने वाली महिला को अधिक आदर-सम्मान दिया जाता है। ऐसी स्थिति में केवल कानून बनाकर ही इस बुराई से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि समाज में जागृति लाई जाय तथा उन्हें बताया जाय कि लड़की किसी भी प्रकार लड़के से कम नहीं होती। साथ ही साथ इस समस्या के आर्थिक पक्ष को भी देखा जाना जरूरी है। विवाह के कार्यक्रम कम खर्च में तथा सादगी से सम्पन्न कराये जायें तथा दहेज आदि की बुराइयों को तुरन्त दूर किया जाय।

Q.2 रामगढ़

दिनांक:—.....

प्रिय मित्र,

सादर वन्दे!

अत्र कुशलम तत्रास्तु। कुशल रहते हुए कुशलता की कामना करता हूँ। आशा है तुम्हारा अध्ययन ठीक चल रहा होगा और स्वास्थ्य भी ठीक होगा।

इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हारा ध्यान जल एवं बिजली के अपव्यय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो कि वर्तमान में राज्य जल और बिजली की समस्या से जूझ रहा है। ऐसी में स्थिति में प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है कि वे इस समस्या से निपटने के लिए सरकार का सहयोग करें। हम अपनी छोटी-छोटी आदतों में सुधारकर जल एवं बिजली बचा सकते हैं। पेय योग्य शुद्ध जल बहुत कम है किन्तु हम शुद्ध जल को व्यर्थ होने से बचा सकते हैं। यथा हम सीधे नल से न नहा कर बाल्टी में पानी भरकर नहायें। शौचालय में प्लश का ईस्तमाल न कर बाल्टी से पानी डालें। जहाँ कहीं नल खुला देखें अथवा बूंद-बूंद टपकता देखें स्वयं अथवा सम्बन्धित व्यक्ति को टोटी बदलने की सलाह दें। नई तकनीक से बरसात का पानी संग्रहीत करें, तो हम एक महीने में एक दिन में काम आने योग्य पानी की बचत कर सकते हैं।

इसी तरह हम बिजली की बचत कर सकते हैं। यथा-आवश्यक न होने पर अथवा बिजली के उपकरण काम न आ रहे हो तो स्विच ऑफ कर दें। इस तरह हम छोटी-छोटी अच्छी आदतें विकसित कर जल एवं बिजली का अपव्यय रोक सकते हैं। जल और बिजली की बचत एक प्रकार से उत्पादन ही है। इस तरह की सोच से हम सजग एवं जागरूक नागरिक के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं।

माता एवं पिता को प्रणाम एवं अन्य परिजनों को यथा योग्य प्रणाम एवं स्नेह।

तुम्हारा शुभेच्छु

क ख ग

अथवा

सेवा में,
श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय,
राजकीय उच्चमाध्यमिक विद्यालय,
टीकम गढ़।

विषय : बन्द पड़ी सह शैक्षिक गतिविधियाँ पुनः प्रारम्भ करने हेतु।

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारे विद्यालय में विगत दो वर्षों से सहशैक्षिक गतिविधियाँ बन्द प्रायः पड़ी है। खेल का मैदान है, किन्तु छात्र खेलते हुए नजर नहीं आते हैं, सहशैक्षिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त साधन एवं स्थान उपलब्ध है किन्तु विद्यालय में वाद विवाद, निबन्ध, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिता संचालित नहीं हो रही है। सह शैक्षिक गतिविधियों की महत्ता से आप स्वयं परिचित होंगे। सहशैक्षिक गतिविधियाँ छात्र के बौद्धिक एवं रचनात्मक विकास का ही एक अंग है। छात्र के सर्वांगीण विकास के लिए पुस्तकीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, अपितु सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी आवश्यक है। इससे छात्रों को आन्तरिक प्रतिभा के विकास का अवसर प्राप्त होता है। सहशैक्षिक गतिविधियों के प्रारंभ करने में जो भी बाधाएं हैं, उनका निराकरण कर पुनः प्रारम्भ करने के लिए अध्यापकों में से कोई एक अध्यापक महोदय का संयोजक के रूप में मनोनयन किया जाए, ताकि यह सह शैक्षिक गति विधियाँ सुगम एवं सुचारु रूप से संचालित हो सके।

मुझे आप से आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए आप बंद पड़ी सह शैक्षिक गतिविधियों को पुनः प्रारम्भ करने का प्रयास करेंगे।

उक्त पत्र के लिए हम सभी छात्र आपके कृतज्ञ रहेंगे।

आपका आज्ञाकारी शिष्य,

क ख ग

(छात्र प्रतिनिधि)

Q.3

(i) **कहानी के तत्व** – 1. कथानक, 2. पात्र, 3. संवाद, 4. वातावरण, 5. भाषा शैली, 6. उद्देश्य

कहानी जीवन में बोधात्मक, संवेदनात्मक क्षण पर आधारित होती है। जिसमें देश और जाति का कोई विशेष व्यवधान नहीं होता। उपन्यास की तरह ही कहानी के 6 तत्व होते हैं।

अथवा

कथावस्तु को 'नाटक' ही कहा जाता है अंग्रेजी में इसे 'प्लॉट' की संज्ञा दी जाती है जिसका अर्थ आधार या भूमि है। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है और नाटक भी क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है इसलिए कथानक इसका अनिवार्य है।

भारतीय आचार्यों ने नाटक में तीन प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है –

(i) प्रख्यात

(ii) उत्पाद्य

(iii) मिश्र प्रख्यात कथा।

(ii) कहानी को मूर्त रूप देनेवाला यह कहानी का तत्व वास्तव में एक या दो-चार संक्षिप्त घटनाओं का संचयन होता है। अनावश्यक ब्यौरे तथा वर्णनों के लिए यहां स्थान नहीं होता। संबंधता, तारतम्य, कौतुहल कथानक के अंग माने जाते हैं। वर्णन में सूक्ष्मता भी कथानक के लिए आवश्यक है। कहानी में कथा की मुख्य चार अवस्थाएं होती हैं – आरंभ, आरोह, चरम सीमा, अवरोह। कहानी के कथा आरंभ पात्र परिचय, वातावरण चित्रण या मनोचित्रण की विशेष स्थिति में होता है। घटनाएं घात-प्रतिघात आरोह कहलाएंगी। इससे उत्पन्न परिणाम चरम सीमा और अंत में जब पाठकों की उत्सुकता क्षमित होगी तब उपसंहार होगा।

अथवा

नाटक में नाटक का अपने विचारों, भावों आदि का प्रतिपादन पात्रों के माध्यम से ही करना होता है अतः नाटक में पात्रों का विशेष स्थान होता है। प्रमुख पात्र अथवा नायक कला का अधिकारी होता है तथा समाज को उचित दशा तक ले जाने वाला होता है। भारतीय परंपरा के अनुसार वह विनयी, सुंदर, शालीनवान, त्यागी, उच्च कुलीन होना चाहिए। किंतु आज नाटकों में किसान, मजदूर आदि कोई भी पात्र हो सकता है। पात्रों के संदर्भ में नाटककार को केवल उन्हीं पात्रों की सृष्टि करनी चाहिए जो घटनाओं को गतिशील बनाने में तथा नाटक के चरित्र पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं।

Q.4

- (i) उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कम महत्वपूर्ण बाद में और सबसे कम महत्वपूर्ण बात अंत में लिखी जाती है।

अथवा

फीचर की प्रस्तुति रोचक होती है जबकि लेख में वैचारिक गंभीरता अधिक होती है। फीचर हृदय को स्पर्श करता है जबकि लेख मस्तिष्क को, फीचर का आयाम संकुचित होता है जबकि लेख का आयाम विस्तृत होता है। फीचर लेखक जन सामान्य की रुचि के अनुकूल लिखता है जबकि लेख में लेखक का सूक्ष्म और गहन अध्ययन का प्रभाव होता है।

- (ii) किसी भी समाचार के पहले अनुच्छेद या आरंभिक दो-तीन पंक्तियों को उसका मुखड़ा कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या, कब कहाँ और कौन की सूचनायें होती हैं।

अथवा

अखबार की खबरे स्थाई होती है जबकि रेडियो की खबरे सुनने के बाद प्रभाव खो देती है। अखबार की खबरों में क्रमिकता की आवश्यकता नहीं होती जबकि रेडियो समाचारों को उसी क्रम में सुनना पड़ता है। अखबार की खबरों के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है जबकि रेडियो समाचार के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक नहीं है। अखबार की खबरों में व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता आवश्यक है जबकि रेडियो की खबरों में उच्चारण की शुद्धता आवश्यक है, अखबार की खबरों का माध्यम शब्द है रेडियो की खबरों का माध्यम शब्द और आवाज है।

Q.5

- (i) कवि नील जल के माध्यम से नीले आकाश का चित्रण करना चाहता है। सूरज का नित-नित बढ़ते जाना किसी रूपसी नारी की गोरी देह का खिलते जाना है। इस प्रकार कवि नीले आकाश में विकीर्ण होती सूरज की धवल किरणों के प्रकाश का चित्रण करना चाहता है अर्थात् नीचे आकाश पर सूर्य की पीत वर्णी किरणों का प्रभाव बतलाना चाहता है।
- (ii) वैद्य सुषेण ने बताया था कि भोर होने से पहले संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का जीवन संभव है, वरना उसकी मृत्यु हो सकती है। भोर होने के करीब थी, किन्तु हनुमान का पता तक नहीं था। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु के भय से भयभीत हो गए थे। वे विलाप करने लगे थे। इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए। उन्हें देखकर राम का शोक एकदम शांत हो गया। रूदन में आशा और उत्साह का संचार हो गया। सारा वातावरण शोक की बजाय उत्साह से भर गया।
- (iii) शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएँ छाई होती है तथा उनमें बिजली भी चमकती है। राखी के लच्छे बिजली की चमक की तरह चमकते हैं। बिजली की चमक सत्य को उद्घटित करता है तथा यह रिशतों की पवित्रता को व्यक्त करता है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है।

Q.6

- (i) कहानी के अनेक मोड़ ऐसे हैं जहाँ पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं वे निम्नलिखित हैं –
बचपन में नौ वर्ष की आयु में उसके माता – पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण विधवा सास ने किया। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चाँद सिंह नामक शेर के बच्चे को हराया तथा 'राज पहलवान' का दर्जा हासिल किया। उसने 'काला खॉ' जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सूँघा दी तथा अजेय पहलवान बन गया। वह पंद्रह वर्ष तक राजदरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया। वह गाँव लौट आया। गाँव आकर उसरे गाँव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। अकस्मात् सूखा व महामारी से गाँव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए। वह उन्हें कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में चल बसा।
- (ii) पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी कहता है—“लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा।” सुनीलदास गुप्त कहता है – ‘मेरा वतन ढाका है।’ ये कथन इस सामाजिक यथार्थ को स्पष्ट करते हैं कि देश की सीमाएँ मनुष्य के मनों को विभाजित नहीं कर सकती। मनुष्य का लगाव अपनी जन्मभूमि से नहीं टूट सकता। हर मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अपनी जन्मभूमि से प्रेम होता है जो कि अंतिम समय तक रहता है। अतः विभाजन अस्वाभाविक है, कत्रिम है।
- (iii) जाति-प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर के तर्क हैं कि जाति-प्रथा को श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। सभ्य समाज में श्रम – विभाजन आवश्यक है, परन्तु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। भारत की जाति-प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार कर जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। जाति प्रथा मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती। फलतः भूखे मरने की नौबत आ जाती है।
- (iv) गाँव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहता था। इसका कारण था – गाँव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे। शक्ति की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा था। वह लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए ढोल बजाता था। ढोल की आवाज से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी। उनमें जीवंतता भरती थी। वह लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो।

Q.7

- (i) यह मानना स्वाभाविक है कि सिन्धु सभ्यता सम्पन्न थी और भव्य भी थी। वहाँ के भवन, तालाब, नालियाँ सड़के, गाड़ियाँ, चित्र, भांड आदि उसकी महत्ता और श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही वहाँ का निर्माण सुनियोजित था, कला उत्कृष्ट थी, फिर भी वास्तुशिल्प, कलाशिल्प में कहीं दिखावा नहीं दिखाई देता। वहाँ भव्य राजप्रसाद नहीं थे, न ही मंदिर, न ही राजाओं, महंतों की समाधियाँ। इस सभ्यता में प्रदर्शन मोह इस कारण नहीं आ सका कि यहाँ का शासन राजसत्ता केन्द्रित नहीं सामाजिक प्रबन्ध व्यवस्था पर आधारित था, जबकि अन्य स्थानों पर राजतन्त्र धर्म-तन्त्र की शक्ति के प्रतीक महल आदि मिले हैं पर यहाँ मात्र सादगी पर भव्य कला का साम्राज्य छाया था। लेखक स्वयं कहता है, यह सभ्यता सांस्कृतिक धरातल पर प्रतिष्ठित थी और यही विशेषता उसको दूसरी सभ्यताओं से अलग ला खड़ी करती है। वह है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का अभाव।

अथवा

ऐन का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू में शारीरिक बल, आर्थिक आजादी आदि के आधार पर स्त्रियों पर शासन किया। वह अपनी मर्जी से हर कार्य करता था। औरतें अब तक अपनी बेवकूफी के कारण यह अन्याय सहती रही। अब यह स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों को जागरूक किया है। कुछ देशों ने उन्हें बराबरी का हक दिया है। समाज में संवेदनशील पुरुषों व औरतों ने इस अन्याय को गलत माना है। आज महिलाएँ पूर्ण आजादी चाहती हैं।

ऐन चाहती है कि महिलाओं को पुरुषों की तरह सम्मान दिया जाना चाहिए। पुरुषों को वीरता के नाम पर अंलकत किया जाता है। शहीदों की पूजा की जाती है तो औरतों को सैनिक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। उसने 'मौत' के खिलाफ मनुष्य' किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि युद्ध में वीर को जितनी पीड़ा, तकलीफ व बीमारी से गुजरना पड़ता है, उससे अधिक तकलीफें औरतें बच्चे को जन्म देते समय झेलती हैं। इन सबके बदले उसे कुछ नहीं मिलता। उसका सौंदर्य व आकर्षण समाप्त हो जाता है तथा बच्चे उसे छोड़ देते हैं। औरत ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पीड़ा सहती है।

ऐन चाहती है कि औरतों को बच्चे जनने चाहिए क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है। ऐन उन मूल्यों व्यक्तियों की निंदा करती है जो समाज में औरतों को सम्मान नहीं देते। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर भविष्य को लेकर आशा व सपने हैं। उसे उम्मीद है कि आगामी सदी में औरतों की बच्चे पैदा करने वाली स्थिति बदलेगी और उन्हें ज्यादा सम्मान व हक मिलेगा।

- (ii) यह पूरी तरह मान लिया गया है कि नगर नियोजन की दृष्टि से मोहनजोदड़ों एक अनूठी मिसाल है। वहाँ सबसे बड़ी विशेषता है – सड़कों और गलियों का विस्तार। सड़कें प्रायः सीधी हैं या फिर आड़ी। आज ऐसी व्यवस्था को ग्रिड प्लान कहा जाता है। आज की सेक्टरनुमा कॉलोनियों में यह आड़ा – सीधा नियोजन खूब मिलता है। पर वहाँ सादगी दिखायी देती हैं और वहाँ का रहन सहन सादगीपूर्ण सा बन जाता है। बार्सिलिया या चण्डीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के नगर हैं। जिन्हें आज आधुनिक नगर निर्माण शिल्प का प्रतिमान माना जाता है।

अथवा

ऐन अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें रविवार के दिन अलग करती हैं। मिस्टर कुगलर सोमवार के दिन सिनेमा एंड थ्रियेटर पत्रिका ले आते थे। घर के बाकी लोग इसे पैसे की बरबादी मानते थे। उसे यह फायदा होता था कि साल भर बाद भी उसे फिल्मी कलाकारों के नाम सही सही याद थे। उसके पिता के दफ्तर में काम करने वाली जब फिल्म देखने आती तो वह पहले ही फिल्म के बारे में बता देती थी।